

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2005

(आयकर)

का. आ. 1260(अ.)—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (6 ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा यह घोषणा करती है कि 42 एच ए डब्ल्यू के एम के 132 एडवांस्ड जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए आपूर्ति एवं सेवाओं के क्रय के प्रयोजनार्थ तथा एडोर मार्क 871-07 इंजिनों के संबंध में विनिर्माण अधिकारों तथा प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण के लिए भारत द्वारा निष्पन्न दिनांक 26 मार्च, 2004 के करार के अनुसरण में प्राप्त रॉयल्टियों तथा तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्कों के रूप में मैसर्स बी ए ई सिस्टम्स (ऑपरेशंस) लिमिटेड, वारविक हाउस, पी.ओ. बाक्स 87, फाराबरो एयरोस्पेस सेंटर, फाराबरो, हैम्पशायर, जी यू 14 6 वाई यू, यूनाईटेड किंगडम तथा ' मैसर्स रोल्ल्स रॉयस टर्बोमिका लिमिटेड ' 4-5 ग्रांसवेनर प्लेस, लंदन एस डब्ल्यू-1, इंग्लैंड को उद्भूत होने वाली किसी आय को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उक्त कम्पनी की कुल आय की संगणना में शामिल नहीं किया जाएगा ।

[अधिसूचना सं. 198/2005/फ़. सं. 200/48/2004-आ.क.नि.-1]

दीपक गर्ग, अवर सचिव